

प्रज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी जिला बॉसवाडा

लालु पिता सोमा जाति भील बनाव कलु पिता रावा जाति भील वगैराह
 नेवासी पातेला वाया टामटीडूंगरी निवासी पातेला वाया टामटीडूंगरी

रजम मुकदमा :- 53, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

2014/00086

प्रकरण संख्या: 29/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.14	पत्रावली बाद जॉच दर्ज रजिस्टर होकर पैश हुई । वादी लालु पिता सोमा जाति भील निवासी पातेला वाया टामटीडूंगरी ने अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण कलु पिता रावा जाति भील वगैराह निवासी पातेला वाया टामटीडूंगरी के विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.06.14 को पेश हो	
12.06.14	पत्रावली पैश हुई। जारी प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामिल जफ्त हुई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री धर्मनारायण का बजालातनामा पैश हुआ। पत्रावली जारी जवाब दिनांक 15.7.14 को पेश की	
5.7.14	पत्रावली पैश हुई। बजालातनामा पत्रावली जारी जवाब दिनांक 11.9.14 को पेश की	
1.9.14	पत्रावली पैश हुई। बजालातनामा पत्रावली जारी जवाब दिनांक 4.12.14 को पेश की	
1/12/14	पत्रावली पैश हुई। वादी/प्रतिवादी आभेवकता उपरिष्ठत पीठासीन अधिकारीनी सम्मनकार्य में व्यस्त/अनुपस्थित/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व जारी की जातना में दिनांक 16.12 को पेश है। आज्ञा से	
1/15	पत्रावली पैश हुई। पत्रावली जारी जवाब दिनांक 24/2/15 को पेश की	